



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082022-238314  
CG-DL-E-23082022-238314

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3780]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 2022/भाद्र 1, 1944

No. 3780]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2022/BHADRA 1, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2022

का.आ. 3954(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 20(अ), दिनांक 04 जनवरी, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii), दिनांक 04 जनवरी, 2022 में प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करती है: उक्त अधिसूचना की अनुसूची में; कॉलम 2 में, "विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एनएचएआई रायचूर" प्रविष्टि के स्थान पर "विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एनएचएआई बागलकोट" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

सी. ए. एल. ए. को एस.एल.ए.ओ.रायचूर से एस.एल.ए.ओ. बागलकोट में बदलने के लिए

[फा. सं. NHAI/LA/RO-BNG/KNT/HOSPET/Corr]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd August, 2022

**S.O. 3954(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Number S.O. 20(E), dated 04th January 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii), dated 04th January 2022, hereby makes the following amendment:- In the Schedule to the said notification; in column 2, for the entry- "**Special Land Acquisition Officer, NHAI Raichur**", the entry- "**Special Land Acquisition Officer, NHAI Bagalkot**" shall be substituted.

For Changing CALA from SLAO Raichur to SLAO Bagalkot

[F. No. NHAI/LA/RO-BNG/KNT/HOSPET/Corr]

RAJESH GUPTA, Director